



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1141]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 1141]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ. 1288(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (संशोधन) आदेश, 2017 है।

(2) यह आदेश 29 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 के खंड 3 के उप खंड (2) की मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी; अर्थात्:-

“(ii) चीनी के संबंध में 28 अक्टूबर, 2017 की अवधि तक;”

[फा. सं. एस-10/1/2017-ईसीआरएंडई]

पी. वी. रामा शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप खंड-(i) में सा.का.नि. 929 (अ), तारीख 29 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. संख्याक 3341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2016 द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****ORDER**

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O. 1288(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—

1. (1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2017.

(2) It shall come into force on the 29th day of April 2017.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

“(ii) sugar, for a period upto 28th October, 2017;”.

[F. No. S-10/1/2017-ECR&E]

P.V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* number S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016.